राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–8)

क्रमांक 7(21)ग्रावि/अनु–8/2015/वीसी   दिनांक: 31.08.2015

विडियो कॉन्फ्रेन्स कार्यवाही विवरण

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 20 अगस्त 2015 को शासन सचिवालय के मुख्य भवन स्थित एनआईसी के विडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में जिला परिषद के उपस्थित मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं प्रभारी अधिकारियों के साथ जिलेवार एवं योजनावार समीक्षा की गई जिसमें निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गयेः–

1. पंचायतीराज विभाग

1. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत राज्य के भरतपुर, जालौर, प्रतापगढ़, अलवर, हनुमानगढ़, सिरोही, एवं उदयपुर जिले में प्रगति सबसे कम होने पर गंभीरता से लेते हुए कार्य की प्रगति में सुधार लाने एवं अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों को ओडीएफ किये जाने के शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय ने निर्देश प्रदान किये, साथ ही निर्मित शौचालयो की फोटो अपलोड कराने, यूसी भिजवाने एवं अंकेक्षण रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने को कहा गया। स्वैच्छिक स्वंय सेवी संगठनो(एनजीओ) द्वारा जिलों में बनाये गये शौचालयों का भौतिक सत्यापन भी करावे एवं जिलो को दिये गये लक्ष्यों की शत–प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करे।
2. वाटरशेड के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के यूसीज भेजकर समायोजन करावे तथा अवशेष राशि का शत–प्रतिशत उपयोग किया जाना सुनिश्चित करावे।
3. मिड–डे–मिल के अन्तर्गत सभी जिलों में खाद्यान का उठाव शत–प्रतिशत करावे तथा जिले में समस्त विद्यालयों में पोषाहार वितरण होना सुनिश्चित करे। गैस कनेक्शन की समस्या का निपटारा करे तथा रसोई घर निर्माण में लागत बढ़ने की समस्या है तो अन्य योजनाओं से डोवटेल कर कार्य पूर्ण करावें। खाद्यान में परिवहन की समस्या हो तो खाद्यान एवं नागरिक आपूर्ति मामलात विभाग से सम्पर्क कर निराकरण करने के निर्देश प्रदान किये गये।
4. तेहरवां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग चतुर्थ, निर्बंध राशि योजना की समीक्षा में सभी मुख्य/अति. कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये कि तीनों योजनओं में 1.04.2015 की अवशेष राशि को अगले माह तक निर्माण कार्यो की स्वीकृति जारी कर शत–प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करे साथ ही अगले माह से 14वें वित्त आयोग/13वें

वित्त आयोग एवं 5वां राज्य वित्त आयोग / चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के खाते अलग–अलग संधारित करे तथा मॉनिटरिंग भी अलग–अलग करे।

5. बी.आर.जी.एफ., डी.आई.एफ., विलेज मास्टर प्लान, आर.जी.पी.एस.ए. युरोपियन युनियन राज्य सहभागिता कार्यक्रम, क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन योजनाओं के अन्तर्गत अवशेष राशि को 31.08.2015 तक व्यय कर अपूर्ण कार्यो को पूर्ण करे। यदि कार्य पूर्ण करने पर अतिरिक्त राशि का आवश्यकता होती है तो अन्य योजनाओं से कनवर्जन करवाकर कार्य पूर्ण करावे। उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवावे।
6. आंगन बाड़ी भवन निर्माण (नाबार्ड) में राजसमन्द एवं बूंदी तथा आंगन बाड़ी भवन निर्माण (मिशन मोड) में करोली एवं कोटा जिलों की प्रगति बहुत कम रहने पर शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि सभी जगह कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाये जावे। यदि राशि वापिस लौटानी है तो स्पष्ट करे कि आप द्वारा जिले में इस कार्य के लिए क्या प्रयास किये गये है और क्यों नहीं आंगन बाडी बन पा रही है ? आज की बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था। उन्हें भी प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के द्वारा फील्ड में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सहयोग करने हेतु निर्देशित किया।
7. सांख्यिकी कार्यालय के भवन निर्माण के अन्तर्गत जिन जिलो में भवन निर्माण का कार्य नहीं हो पाया है उन जिलो द्वारा उक्त राशि वापस निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को भिजवाने के निर्देश दिये गये।
8. नव सृजित ग्राम पंचायतो के लिए 5 बीघा तथा पंचायत समितियों के लिए 10 बीघा जमीन का चिन्हितिकरण कर अवगत करावे। जनता जल योजना में बिजली के बकाया बिलो का भुगतान शीघ्र करावे। पम्प चालकों के मानदेय का भुगतान समय पर कराने के भी निर्देश प्रदान किये।
9. कोर्ट केसेज के निस्तारण की प्रगति बहुत कम होने पर प्रमुख शासन सचिव महोदय ने नाराजगी व्यक्त की साथ ही निर्देश प्रदान किये कि जिले मे कोर्ट केसेज के प्रभारी अधिकारी तथा बीडीओ की बैठक करे। प्रति माह माननीय उच्च न्यायालय की वेब साइट पर जिले के केसेज की स्थिति की जानकारी प्राप्त करे तथा उनकी जानकारी प्रभारी अधिकारी को देवे।
10. कार्मिक विभाग से उपस्थित अधिकारियों ने सभी मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारियो को अवगत कराया कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को ऑन लाइन किया जाना है। अतः आप यह कार्य आगामी दो माह में करावे। इसके लिए आईएचएमआरएस वेब साइट की जानकारी भी दी गई।
11. प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा सभी मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष की प्रगति कम है अतः प्रगति बढाने हेतु विशेष प्रयास किये जावे। स्थानीय निधि लेखा विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय के बकाया आडिट आक्षेपों की ठोस पालना कर निस्तारण करावे। जनप्रतिनिधियों के विरूद्ध लम्बित जांचो का भी शीघ्र निस्तारण करे। बकाया यूसीज शीघ्र भिजवावे ताकि केन्द्र सरकार से समय पर राशि प्राप्त हो सके। ग्रामीण कार्य निर्देशिका का प्रथम नया

प्रारूप आपको मेल कर दिया है इसे ध्यान से पढे तथा अपने सुझावो से अवगत करावें।

12. विभागीय विभिन्न गतिविधियों से संबंधित 1 से 18 प्रपत्रों की सूचना मासिक/त्रैमासिक आप द्वारा नहीं भिजवायी जा रही है जिसके कारण विभाग द्वारा रिक्त पदों/कार्मिकों के लम्बित प्रकरणों इत्यादि की सूचना उच्च स्तर पर उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। अतः सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निर्धारित प्रपत्र I से VIII यथा जिला परिषद व पंचायत समिति स्तर पर रिक्त पदों की स्थिति, मृतक आश्रितों की नियुक्ति के लम्बित प्रकरणों की स्थिति, कार्मिकों के लम्बित प्रकरण,कार्मिको के विरूद्ध सीसीए नियम 16 व 17 के जांच प्रकरण, निलम्बित कार्मिकों के प्रकरण, कार्मिकों की लम्बित शिकायतो/प्राथमिक की जांच, निरीक्षण विवरण, प्रपत्र IX से XI यथा– न्यायालय प्रकरण व जवाब दावें प्रस्तुत करने हेतु लम्बित न्यायालय प्रकरण, स्थाई समिति एवं सर्तकता समिति की बैठकों की स्थिति, ग्राम सभाओं/वार्ड सभाओं की स्थिति, प्रपत्र 12 एवं 13 यथा– जनप्रतिनिधियों के विरूद्ध विस्तृत जांच/प्राथमिक जांच तथा पंचायती राज नियम 157 तथा 158 के तहत पुराने भवनों के नियमितिकरण, रियायती दर पर व निशुल्क भूखण्ड का आवंटन की सूचना योजनाओं की प्रतिमाह भिजवाने वाली प्रगति रिपोर्ट के साथ प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाना सुनिश्चित करे।

2. महात्मा गांधी नरेगा

1 महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत माह जुलाई, 2015 तक अनुमोदित श्रम बजट के विरूद्ध राज्य में 85 प्रतिशत मानव दिवस सृजित हुए है। बाडमेर, प्रतापगढ, डूंगरपुर, बारां, बांसवाडा, अजमेर, भीलवाडा एवं उदयपुर जैसे जिलों जिनमें मानव दिवस सृजन की विपुल संभावनाए है, में मानव दिवस का सृजन कम रहा है। वर्ष के शेष रहे समय में कार्य योजना तैयार कर प्रगति बढायी जाने की कार्यवाही की जावे।

2 राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश के बावजूद जिलों में कन्वर्जेन्स की प्रगति अत्यन्त कम है। सर्वप्रथम ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स को प्राथमिकता दी जाकर कार्य प्रारम्भ किये जावे। अजमेर, टोंक, सीकर, डूंगरपुर जैसे जिलों में कन्वर्जेन्स के तहत कार्य स्वीकृत किये जाकर प्रारम्भ किये जा चुके है वहीं भीलवाडा, कोटा, जोधपुर जैसे जिलों में कार्य स्वीकृत किये गये है परन्तु अभी तक प्रारम्भ नही हुए है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वयं का भी कन्वर्जेन्स में रूचि लेने के साथ ही सरपंच, ग्राम सेवक आदि तथा माननीय सांसद एवं विधायक महोदय से सम्पर्क कर कन्वर्जेन्स के संबन्ध में भ्रान्तियों को दूर कर कन्वर्जेन्स के लाभ समझाए जाने की आवश्यकता है। जिन जिलों में कन्वर्जेन्स की प्रगति शून्य है, उन जिलों की प्रगति की समीक्षा 15 दिवस में पुनः की जायेगी।

3 राज्य में सामग्री मद में व्यय की सीमा भी लगभग सभी जिलों में 40 प्रतिशत से कम रही है। वर्ष 2014–15 के दौरान किये गये श्रम मद के अनुरूप 40 प्रतिशत सामग्री मद में व्यय किये जाने पर राज्य में रू. 458 करोड के सामग्री प्रदान कार्य कराए जा सकते